झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः— रा0खा0आ0 (विविध) 65/2018— 132

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

निदेशक,
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय,
झारखण्ड, रांची।

राँची, दिनांकः— 14.02.2022

विषयः— **आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाने हेतु इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 की धारा—16 (6—च) के आलोक में आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन— 2020—21 (1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021) तैयार किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवेदन/आंकड़ों की आवश्यकता हैः—

1. वर्तमान में राज्य में कुल संचालित जन वितरण प्रणाली केन्द्रों की संख्या (जिलावार)।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम—2013 के तहत् जनवितरण प्रणाली से आच्छादित लाभुकों/परिवारों की जिलावार अद्यतन संख्या।
3. पूर्विकता प्राप्त गृहस्थों (Priority Households) एवं अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) से आच्छादित लाभुकों/परिवारों की जिलावार अद्यतन संख्या।
4. PVTG योजना से आच्छादित परिवारों/लाभुकों की जिलावार संख्या।
5. स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित PDS दुकानों की जिलावार संख्या।
6. Covid—19 के दौरान संचालित किये गये कार्यक्रम/योजना से संबंधित विवरणी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित प्रतिवेदन आयोग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

14/2/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Premlata\Ravish's Letters\Ravish SirLetters.docx86

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261